## Detail of Amount deposited with Eco-Green Company.

***1132:-** **SMT. SEEMA TRIKHA, M.L.A.: -** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

A. The year wise and ward wise details of amount deposited with the Eco Green Company till to date together with the extent of benefit received by the Government and District Faridabad;

B. Whether the Eco Green is working as per the contractual terms and conditions of the Government in District Faridabad;

C. The number of three wheelers and four wheelers engaged in each ward; and

D. Whether any receipt in lieu of user fee charged from the public is being issued by the Eco Green Company, if so, a copy thereof?

### HON'BLE, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

Sir, a statement is placed on the Table of the House.

**Statement of Sh. Anil Vij in reply**

Sir,

A. The project of development of Integrated Solid Waste Management (Collection, transportation, processing and disposal) in Faridabad-Gurugram Cluster was allotted to M/s. Eco-green Company in year 2017 for a concession period of 22 years. The agreement was signed between the MCG, MCF and Concessionaire on dated 14.08.2017. As per the scope of contract the concessionaire i.e. M/s Eco-green company was required to develop Integrated Solid Waste Management facility through private participation covering the following activities:-

i. Door to door collection of MSW in segregated manner from waste generators.

ii. Transportation of MSW from secondary collection to processing facility.

iii. Design and setup of processing facility i.e. Waste to Energy plant and sanitary landfill.

The concessionaire was selected on the following mechanism:-

i. Output based incentive @ Rs. 10.40 per unit of electricity generation from MSW.

ii. Rs. 6.84 per Unit shall be paid by DISCOM on purchase of electricity from the concessionaire per PPA (Power Purchase Agreement).

iii. Rs. 3.36 per Unit shall be paid by the ULBs proportionate to their waste generation.

iv. Tipping Fee for collection & Transportation @ Rs. 1000/- Per Ton during Pre-COD (Commercial Operation Date) period and Rs. 333 per Ton of Waste collected, transported and processed Post COD Period.

v. Viability Gap Funding (VGF) of 25% (Rs.82.05 Cr) of the estimated project cost will be given in the shape of grant through Govt. of India.

vi. Collection of User Charges from the waste generators/ Households is also a revenue stream of the concessionaire.

As per the report received from Municipal Corporation, Faridabad the payment of the tipping fees @ Rs. 1000/MT is made to the concessionaireon the basis of per ton collection and transportation of the MSW in MC, Faridabad. The payment of the tipping fees is made for the total waste collected in the limits of MCF instead of ward wise payment. Year wise detail of payment made by MCF to M/s. Eco Green Company till date is as under: -

| Ward no. | FY | Duration | No. of Months | Amount deposited into Bank Account of M/s Eco-Green Companyon account of Tipping Fees only |
|---|---|---|---|---|
| 1 to 40 | 2017-18 | Dec 17 to Mar 18 | 4 | 5,30,85,000 |
| | 2018-19 | Apr 18 to May 19 | 14 | 22,47,65,000 |
| | 2019-20 | Jun 19 to Mar 20 | 10 | 19,18,96,000 |
| | 2020-21 | April 20 to Mar 21 | 12 | 24,01,25,901 |
| | 2021-22 | April 21 to May 21 | 2 | 3,72,03,701 |

The above said amount is paid to the M/s Eco-Green Company in lieu of the work of door to door collection & transportation of the waste to the designated site till the commissioning of Waste to Energy Plant.Approximately 813 MT of the waste per day is being collected by the concessionaire from the limits of MCF and approximately 10.17 lakh MT of the waste of MCF is collected & transported by the concessionaire to the Bhandwari site. MCF got benefits in terms of cleanliness and garbage collection. Ranking of MCF has also been improved from 88th in year 2017 to 38th in year 2020.

B. Yes, as per the report of MCF the M/s Eco-green company is working as per the scope mentioned in the contract agreement. In case of violation penalty provisions are being invoked as per terms and conditions of concession agreement. Till date penalty of Rs. 2,14,33,515/- has been imposed on concessionaireby MCF.

C. The Total nos. of 4 Wheelers & 3 Wheelers vehicles deployed by the agency in the MCF is 279 and 423 respectively. Ward wise detail of 4 Wheelers & 3 Wheelers vehicles is as under: -

| Ward | 4 Wheeler Vehicles | | 3 Wheeler Vehicles |
|---|---|---|---|
| | Motorised Vehicles | Electrical Vehicles | Non-Motorised No Vehicles |
| 1 | 5 | 1 | 17 |
| 2 | 4 | 0 | 9 |
| 3 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 7 | 1 | 4 |
| 6 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 5 | 1 | 3 |
| 8 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | 5 | 1 | 3 |
| 12 | 5 | 0 | 13 |
| 13 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | 7 | 1 | 13 |
| 15 | 6 | 0 | 10 |
| 16 | 10 | 0 | 15 |
| 17 | 6 | 1 | 5 |
| 18 | 4 | 0 | 3 |
| 19 | 8 | 1 | 23 |
| 20 | 6 | 1 | 43 |
| 21 | 4 | 0 | 21 |
| 22 | 12 | 1 | 24 |
| 23 | 8 | 1 | 5 |
| 24 | 6 | 1 | 10 |
| 25 | 4 | 1 | 11 |
| 26 | 8 | 0 | 20 |
| 27 | 11 | 0 | 6 |
| 28 | 11 | 0 | 14 |
| 29 | 6 | 1 | 14 |
| 30 | 6 | 1 | 6 |
| 31 | 9 | 1 | 10 |
| 32 | 7 | 0 | 11 |
| 33 | 7 | 0 | 10 |
| 34 | 6 | 1 | 11 |
| 35 | 9 | 1 | 5 |
| 36 | 6 | 1 | 11 |
| 37 | 6 | 0 | 10 |
| 38 | 4 | 1 | 17 |
| 39 | 6 | 0 | 6 |
| 40 | 7 | 0 | 15 |
| **Total** | **256** | **23** | **423** |

D. Yes, a receipt is provided to the concerned from whomthe user fee is charged by the M/s Eco-green company. Proof of receipt issued by Eco Green Company is attached herewith at **Annexure-I**. The user charges are collected from the users on the basis of rates notified by the Governmenton dated 24.10.2011 which is placed at **Annexure-II**.

**ANNEXURE-I**

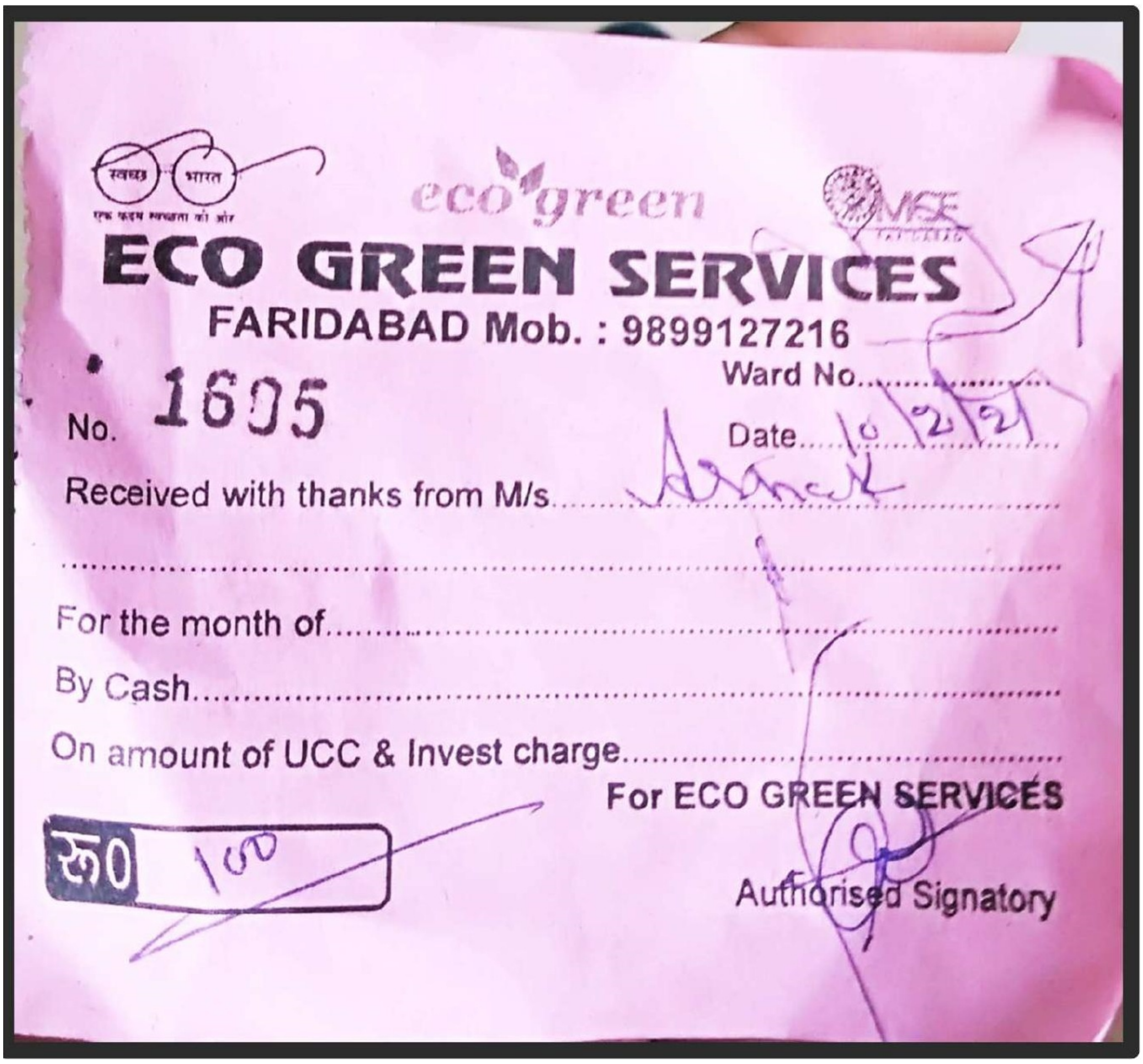

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

eco green

ECO GREEN SERVICES

FARIDABAD Mob. : 9899127216

Ward No.....................

No. 1605 Date 10/2/21

Received with thanks from M/s Anand

.......................................................................................

For the month of........................................................................

By Cash.....................................................................................

On amount of UCC & Invest charge...............................................

For ECO GREEN SERVICES

रु0 100

Authorised Signatory

## ANNEXURE-II

**HARYANA GOVERNMENT**
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

**Dated the 24.10.2011**

No.14/153/2011-4C 1:- In the State Government, acting upon the powers conferred under provisions of the Haryana Municipal Act, 1973 and Haryana Municipal Corporation Act, 1994, hereby notify the user charges for solid waste management in Urban areas of Haryana as under with immediate effect;-

| Monthly user Charges for Door to Door Solid Waste Collection | | |
|---|---|---|
| **Sr. No.** | **Property Description** | **Rs. Per Month** |
| **RESIDENTIAL** | | |
| 1. | Bpl Houses, Notified Slums, MalinBastis& EWS flats | 5* |
| 2. | Residential Houses including hostels upto 100 Sq. mtrs. (plot area) | 20 |
| 3. | Residential Houses including hostels upto 100 Sq. mtrs but upto 200 Sq. mtrs (plot area) | 40 |
| 4. | Residential Houses including hostels upto 200 Sq. mtrs but upto 400 Sq. mtrs (plot area) | 50 |
| 5. | Residential Houses including hostels more then 400 Sq. mtrs (plot area) | 100 |
| 6. | Apartments, flats having covered area upto 2000 Sq. ft. except EWS flats | 50 Per flat |
| 7. | Apartment, flats having covered area more than 2000 Sq. ft. | 100 Per flat |
| **COMMERCIAL** | | |
| 8. | Individual Shops and private offices upto 200 Sq. feet covered area including service stations, restaurants, dhabas, fishery shops, shops in grain market and vegetable market ect. | 25 |
| 9. | Individual Shops and private offices more than 200 Sq. feet covered area including service stations, restaurants, dhabas, fishery shops, shops in grain market and vegetable market ect. | 100 |
| 10. | Nursing Homes, Clinics/Hospitals/Aushdhalayas without indoor facilities, Hospitals upto 50 beds. | 1500 |
| 11. | Hospitals more than 50 beds but upto 100 beds | 3000 |
| 12. | Hospitals more than 100 beds | 5000 |
| 13. | Shopping Complexes including Malls, Cinema Halls and notified Slaughter Houses | Rs. 0.50 Per Sq. ft of Covered area |
| 14. | Factories, Mills | Rs. 0.50 Per Sq. mtr of Plot area |
| 15. | Banks, Auditoriums, Guest Houses, Hotels (upto 10 rooms) | 500 |
| 16. | Marriage Halls, Banquet Halls, Hotels (above 10 rooms), Commercial Party Lawns | 4000 |
| 17. | Clubs with restaurants facilities having membership upto 500 nos. | 500 |
| 18. | Clubs with restaurants facilities having membership more than 500 nos. | 1000 |
| 19. | Petrol Pumps, Gas Stations | 1000 |
| **INSTITUTIONAL** | | |
| 20 | Central and State Govt. and Public Sector Offices/Complexes, | 150 |

| | | |
|---|---|---|
| . | Welfare Organizations/Societies. | |
| 21. | All educational institutes of any type having plot area upto 2 acres | 500 |
| 22. | All educational institutes of any type having plot area more than 2 acres but upto 5 acres | 1000 |
| 23. | All educational institutes of any type having plot area more than 5 acres | 2000 |
| 24. | All Dharamshalas, religious places, sports clubs | These are exempted |

In addition to above, the other rates shall be as under:-

2. Removal of Malba of Construction material during new construction/repair/renovation Rs. 300/-per trolley.

*NOTE:-In case of units mentioned under Sr.No. 1, the Committee/Council/Corporation will deposit this amount for these sections of society in user charges fund and will not collect from the owners of these houses.

**<u>Other Terms and Conditions:-</u>**

1. The user charges suggested above are only indicative and concerned Municipal Authorities may levy the user charges at its own within the provision of the Haryana Municipal Act, 1973 and Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and revise the same periodically.

2. The users, who opt to pay user charges in advance for period of at least one year, will be eligible for a discount of 10%.

3. The non-payment of user fee will be recovered within various provisions for the recovery of fee contained in Haryana Municipal Act, 1973 and Haryana Municipal Corporation Act, 1994 as the case may be.

4. The Municipal Authorities may levy and collect the user charges at its own or may authorize any private party engaged to handle solid waste and its processing through open tenders for this purpose. The Commissioner, Municipal Corporations/Executive Officers, Municipal Councils, Secretary, Municipal Committees are authorized to issue such instructions.

5. The users will have to deliver the solid waste at designated places fixed by the Municipality and in the manner as guided by Municipalities,

6. The solid waste under this notification will only include domestic solid waste and will not include any hazardous solid waste or medical hazardous waste or industrial Waste as defined under Environment (Protection) Act, 1986 as amended from time to time

7. In case of any dispute, the appeals shall be heard and disposed off by the appellant authority as per the provisions of the

Haryana Municipal Act, 1973 and Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

S.S.DHILLON
FinancialCommissioner & Principal Secretary to Govt. Haryana, Urban Local Bodies Deptt.

Endst. No. 14/153/2011-4C-I Dated 24-10-2011

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationery Department Haryana, Chandigarh with the request that above notification (both Hindi & English) may please be published in the Haryana Govt. Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 100 copies of the said notification to this office for record.

-Sd-
Under Secretary
For Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. Haryana, Urban Local Bodies Deptt.

Ends. No.14/153/2011-4C-I Dated 24-10-2011

A copy is forwarded to following for information & necessary action:-

1) Director, Urban Local Bodies, Haryana Chandigarh.
2) All the Divisional Commissioners in the State.
3) All the Deputy Commissioners in the State.
4) The Commissioners, Municipal Corporation, Faridabad, Gurgaon, Rohtak, Hisar, Panipat, Karnal, Ambala, Yamuna Nagar and Panchkula.
5) Executive Officers/Secretaries, Municipal Councils/Committees in the State.

-Sd-
Under Secretary
forFinancial Commissioner & Principal Secretary to Govt. Haryana, Urban Local Bodies Deptt.

# ईकोग्रीन कम्पनी के पास जमा राशि का ब्यौरा

*1132. **श्रीमती सीमा त्रिखा, एम.एल.ए.**:–क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) ईकोग्रीन कम्पनी के पास अब तक जमा की गई राशि का वर्षवार तथा वार्डवार ब्यौरा क्या है तथा सरकार तथा जिला फरीदाबाद को कितना लाभ प्राप्त हुआ;

(ख) क्या ईकोग्रीन जिला फरीदाबाद में सरकार के ठेका आधारित नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य कर रहा है;

(ग) प्रत्येक वार्ड में लगे हुए थ्री व्हीलर तथा फोर व्हीलर की संख्या कितनी है; तथा

(घ) क्या इकोग्रीन कम्पनी द्वारा जनता से उपयोग के एवज़ में कोई फीस की रसीद जारी की जा रही है ?

**माननीय, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री**

श्रीमान जी, एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है।

## जवाब में श्री अनिल विज का कथन

महोदय,

(क) फरीदाबाद–गुरुग्राम क्लस्टर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान) के विकास की परियोजना मैसर्स इको–ग्रीन कंपनी को वर्ष 2017 में 22 वर्षो के लिए आवंटित की गई थी। दिनांक 14.08.2017 को नगर निगम गुरूगाम, नगर निगम फरीदाबाद और कन्सेसनेयर ( मैसर्स इको–ग्रीन कंपनी)के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अनुबंध के दायरे के अनुसार कन्सेसनेयरअर्थात मेसर्स इको–ग्रीन कंपनी को निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल करते हुए निजी भागीदारी के तहत एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा दी जा रही है।

i. कचरा उत्पादको से गीला व सूखा कचरा अलग–अलग तरीके सेघर–घर जाकर संग्रह करना।
ii. कचरे का द्वितीयक संग्रह से प्रसंस्करण सुविधा तक परिवहन करना।
iii. प्रसंस्करण सुविधा यानी अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र और सैनिटरी लैंडफिल का डिजाइन और सेटअप।

कन्सेसनेयर( मैसर्स इको–ग्रीन कंपनी ) का चयन निम्नलिखित तंत्र पर किया गया था –

i. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन – कचरे से बिजली उत्पादन का रू0 10.40 प्रति यूनिट कन्सेसनेयर( मैसर्स इको–ग्रीन कंपनी ) को किया जायेगा।
ii. रु. 6.84 प्रति यूनिट का भुगतान डीसकॉम द्वारा बिजली की खरीद पर कन्सेसनेयरको प्रति पीपीए (बिजली खरीद समझौता) के तह्त किया जाएगा।
iii. रु. 3.36 प्रति यूनिट का भुगतान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उनके अपशिष्ट उत्पादन के अनुपात में किया जाएगा।
iv. संग्रह और परिवहन के लिए टिपिंग शुल्क 1000/– प्रति टन प्री–सीओडी (वाणिज्यिक संचालन तिथि) अवधि के दौरान और रु 333 प्रति टन पोस्ट सीओडी अवधि में अपशिष्ट एकत्र, परिवहन और प्रसंस्करण हेतु निर्धारित है।
v. अनुमानित परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (82.05 करोड़ रुपये) की व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) भारत सरकार के माध्यम से अनुदान के रूप में दी जाएगी।
vi. अपशिष्ट उत्पादकों से यूजर शुल्क की वसूली भी कन्सेसनेयरकी आय का एक स्रोत है।

नगर निगम, फरीदाबाद से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार टिपिंग शुल्क का भुगतान नगर

निगम, फरीदाबाद प्रति टन कचरे का संग्रह और परिवहन के आधार पर कन्सेसनेयरको रू0 1000/एमटी की राशि दी जाती है। टिपिंग शुल्क का भुगतान वार्डवार भुगतान के बजाय नगर निगम, फरीदाबाद की सीमा में एकत्रित कुल कचरे के लिए किया जाता है। नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा मैसर्स ईको ग्रीन कम्पनी को किए गए भुगतान का वर्षवार विवरणनिम्न प्रकार है –

| वार्ड नं | वित्तीय वर्ष | अवधि | महीनों की संख्या | टिपिंग शुल्क के तौर पर मेसर्स इको–ग्रीन कंपनी के बैंक खाते में जमा की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 to 40 | 2017-18 | Dec 17 to Mar 18 | 4 | 5,30,85,000 |
| | 2018-19 | Apr 18 to May 19 | 14 | 22,47,65,000 |
| | 2019-20 | Jun 19 to Mar 20 | 10 | 19,18,96,000 |
| | 2020-21 | April 20 to Mar 21 | 12 | 24,01,25,901 |
| | 2021-22 | April 21 to May 21 | 2 | 3,72,03,701 |

उक्त राशि का भुगतान मेसर्स इको–ग्रीन कंपनी को घर–घर जाकर कचरे के संग्रहण एवं परिवहन के कार्य के एवज में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के चालू होने तक निर्धारित स्थल तक पहुँचाने हेतु किया गया है। नगर निगम फरीदाबाद की सीमा से प्रति दिन लगभग 813 मीट्रिक टन कचरा कन्सेसनेयरद्वारा एकत्रित एंव परिवहन किया जा रहा है। अब तक लगभग 10.17 लाख मीट्रिक टन कचरा कन्सेसनेयरद्वाराृ एकत्रित एंव परिवहन किया गया है। सफाई और कचरा संग्रहण के मामले में नगर निगम फरीदाबाद को लाभ मिला हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 मे नगर निगम फरीदाबाद 88वें स्थान पद था जबकि 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण मे नगर निगम फरीदाबाद द्वारा 38वां स्थान प्राप्त किया गया।

(ख) हाँ, नगर निगम फरीदाबादकी रिपोर्ट के अनुसार मेसर्स इको–ग्रीन कंपनी अनुबंध समझौते में उल्लिखित दायरे के अनुसार काम कर रही है। उल्लंघन के मामले में कन्सेसनेयरअनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार जुर्माना प्रावधान लागू किया गया है। अब तकनगर निगम फरीदाबाद द्वारा कन्सेसनेयर( मैसर्स इको–ग्रीन कंपनी ) पर 2,14,33,515/– रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

(ग) नगर निगम फरीदाबाद में कन्सेसनेयरद्वारा उपलब्ध कराये गये कुल 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों की संख्या क्रमशः 279 और 423 नगर है। चौपहिया एवं तिपहिया वाहनों का वार्डवार विवरण इस प्रकार है–

| वार्ड न0 | चौपहिया वाहन | | तिपहिया वाहन |
|---|---|---|---|
| | मोटरवाहन | विद्युतवाहन | गैर मोटर चालित वाहन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 17 |
| 2 | 4 | 0 | 9 |
| 3 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 7 | 1 | 4 |
| 6 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 5 | 1 | 3 |
| 8 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | 5 | 1 | 3 |
| 12 | 5 | 0 | 13 |
| 13 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | 7 | 1 | 13 |
| 15 | 6 | 0 | 10 |
| 16 | 10 | 0 | 15 |
| 17 | 6 | 1 | 5 |
| 18 | 4 | 0 | 3 |
| 19 | 8 | 1 | 23 |
| 20 | 6 | 1 | 43 |
| 21 | 4 | 0 | 21 |
| 22 | 12 | 1 | 24 |
| 23 | 8 | 1 | 5 |
| 24 | 6 | 1 | 10 |
| 25 | 4 | 1 | 11 |
| 26 | 8 | 0 | 20 |
| 27 | 11 | 0 | 6 |
| 28 | 11 | 0 | 14 |
| 29 | 6 | 1 | 14 |
| 30 | 6 | 1 | 6 |
| 31 | 9 | 1 | 10 |
| 32 | 7 | 0 | 11 |
| 33 | 7 | 0 | 10 |
| 34 | 6 | 1 | 11 |
| 35 | 9 | 1 | 5 |
| 36 | 6 | 1 | 11 |
| 37 | 6 | 0 | 10 |
| 38 | 4 | 1 | 17 |
| 39 | 6 | 0 | 6 |
| 40 | 7 | 0 | 15 |
| **Total** | **256** | **23** | **423** |

(घ) हां, मेसर्स इको–ग्रीन कंपनी द्वाराउपयोगकर्ता से उपयोगकर्ता शुल्क लेने पर संबंधित को एक रसीद प्रदान की जाती है। रसीद प्राप्ति का प्रमाण अनुलग्नक –I में संलग्न है। उपयोगकर्ता शुल्क सरकार द्वारा दिनांक 24.10.2011 को अधिसूचित दरों के आधार पर उपयोगकर्ताओं से एकत्र किए जाते हैं जो अनुलग्नक – II में दिए गए हैं।

अनुलग्नक–I

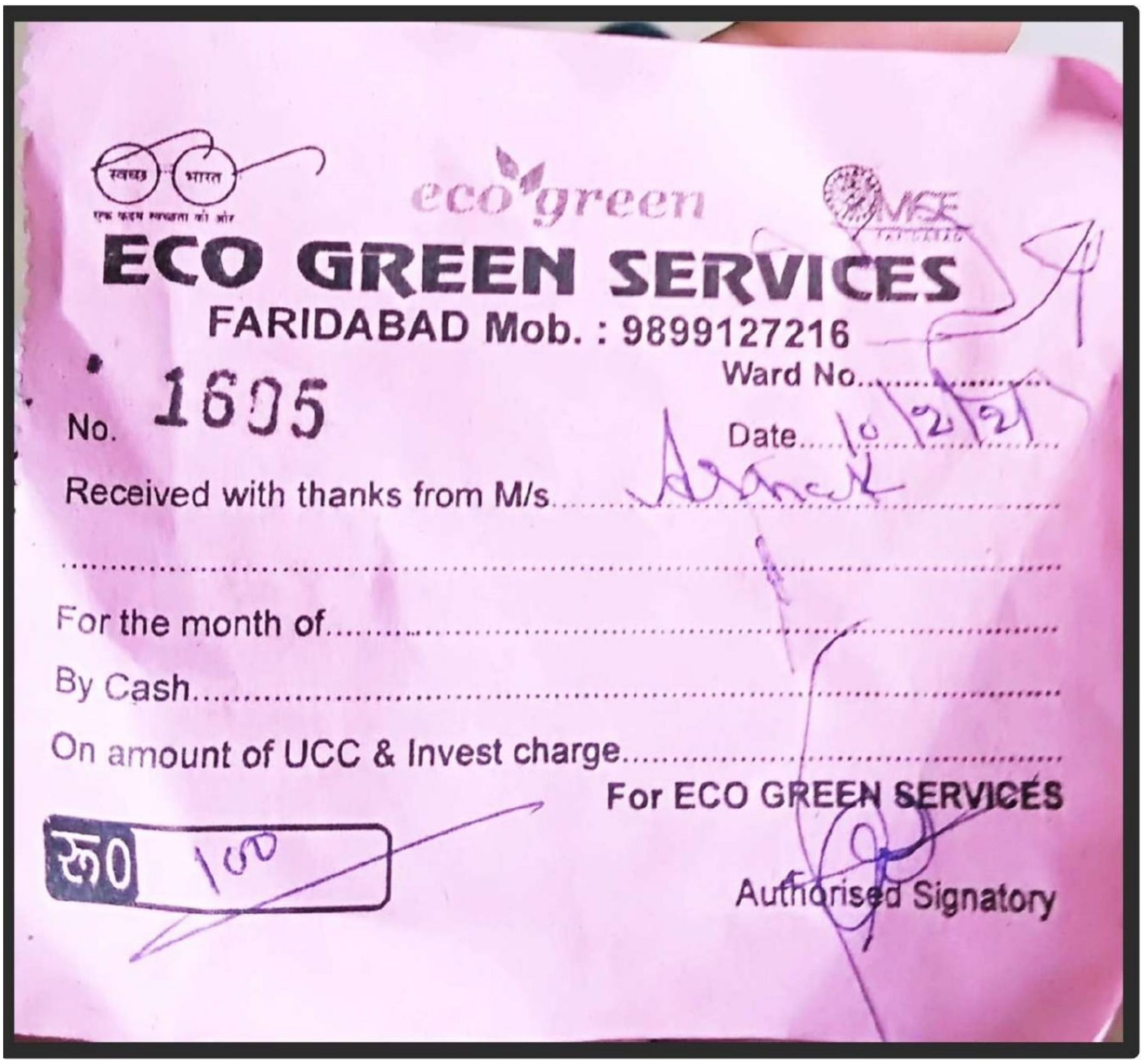
स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

eco green

MSE

ECO GREEN SERVICES
FARIDABAD Mob. : 9899127216

Ward No. ..........

No. 1605    Date 10/2/21

Received with thanks from M/s. ..........

..........

For the month of ..........

By Cash ..........

On amount of UCC & Invest charge ..........

रू0 100

For ECO GREEN SERVICES

Authorised Signatory

अनुलग्नक–II

# हरियाणा सरकार
# शहरी स्थानीय निकाय विभाग
# अधिसूचना

दिनांक 24.10.2011

संख्या 14/153–2011–4सी0–हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार हरियाणा शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए तुरन्त प्रभाव से निम्र उपभोक्ता प्रभार अधिसूचित करती है:–

| घर–घर जाकर ठोस कचरा संग्रहण करने के लिए मासिक उपभोक्ता प्रभार | | |
|---|---|---|
| क्रम सं0 | सम्पति विवरण | रुपये प्रतिमास |
| आवासीय | | |
| 1. | बी0पी0एल0 मकानों, अधिसूचित स्लम, मलिन बस्तियां और ई0डब्लयूएस फलैटस | 5 |
| 2. | 100 वर्ग मीटर (प्लाट क्षेत्र) के होस्टलों सहित आवासीय मकानों के लिए | 20 |
| 3. | 100 वर्ग मीटर से 200 मीटर से अधिक परन्तु 400 वर्ग मीटर तक (प्लाट क्षेत्र) तक के होस्टलों समेत आवासीय मकानों के लिए | 40 |
| 4. | 200 वर्ग मीटर से अधिक परन्तु 400 वर्ग मीटर तक (प्लाट क्षेत्र) तक के होस्टलों सहित आवासीय मकानों के लिए | 50 |
| 5. | 400 वर्ग मीटर से अधिक (प्लाट क्षेत्र) तक के होस्टलों सहित आवासीय मकानों के लिए | 100 |
| 6. | ईडब्लूएस फलैट को छोडकर 2000 वर्ग फीट तक के अच्छिादित क्षेत्र वाले अपार्टमेन्टस, फलैट के लिए | 50 प्रति फलैट |
| 7. | 2000 वर्ग फीट से अधिक के आच्छदित क्षेत्र वाले अपार्टमेन्टस, फलैटस के लिए | 100/प्रति फलैट |
| वणिज्यिक | | |
| 8. | अनाज मंडी व सब्जी मंडी इत्यादि में दुकानों, सर्विस स्टेशनों, रैस्टोरेन्टो, ढाबों, मत्स्य दुकानों सहित 200 वर्ग फीट से अधिक के आच्छादित क्षेत्र करने वाले व्यक्तिगत दुकानों और निजी | 25 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | अनाज मंडी व सब्जी मंडी इत्यादि में दुकानों, सर्विस स्टेशनों, रैस्टोरेंटों, ढाबों, मत्स्य दुकानों सहित 200 वर्ग फीट से अधिक के आच्छादित क्षेत्र वाले व्यक्तिगत दुकानों और निजी कार्यालयों के लिए | 100 |
| 10. | इन्दोर सुविधाओं के बिना नर्सिंग होम, क्लीनिक्स/हस्पतालों/औषधालयों, 50 बिस्तरों तक के अस्पतालों के लिए | 1500 |
| 11. | 50 बिस्तरों से अधिक परन्तु 100 बिस्तरों तक के अस्पतालों के लिए | 3000 |
| 12. | 100 बिस्तरों से अधिक परन्तु 100 बिस्तरों तक के अस्पतालों के लिए | 5000 |
| 13. | मॉल्स, सिनेमा हाल और अधिसूचित बूचडखानों सहित शॉपिंग कॉम्पलैक्सों के लिए | आच्छादित क्षेत्र का 0. 50/प्रति वर्ग मीटर |
| 14. | कारखानों, मिलों | प्लाट क्षेत्र का 0. 50/प्रति वर्गमीटर |
| 15. | बैंकों, सभागारों, गैस्ट हाउसों, होटलों (10 कमरों तक) | 500 |
| 16. | मैरिज हॉल, बैंक्विट हाल, होटलों (10 कमरों से अधिक), कॉर्मशियल पार्टी जॉन्स | 4000 |
| 17. | 500 तक की सदस्यता वाले रैस्टोरेन्ट की सुविधा के साथ क्लबों के लिए | 500 |
| 18. | 500 से अधिक की सदस्यता वाले रैस्टोरेन्ट की सुविधा के साथ क्लबों के लिए | 1000 |
| 19. | पैट्रोल पम्प, गैस स्टेशन | 1000 |
| संस्थाएं | | |
| 20. | केन्द्रीय तथा राज्य सरकार और लोक संस्था कार्यालय/कॉम्पलैक्स, कल्याण संगठन/समितियां | 150 |
| 21. | दो एकड किसी प्रकार की सभी शैक्षणिक संस्थाए | 500 |
| 22. | दो एकड से ज्यादा पांच एकड तब किसी प्रकार की सभी शैक्षणिक संस्थाएं | 1000 |
| 23. | पांच एकड से ज्यादा तक किसी प्रकार की सभी शैक्षणिक संस्थाएं | 2000 |
| 24. | सभी धर्मशालाएं, धार्मिक स्थान, खेल क्लब | छूट |

इसके अतिरिक्त, अन्य दरें निम्न होंगी:—

2. रिपेयर/नए भवन निर्माण/नवीणीकरण तथा मलबा हटाने के लिए 300 रुपये प्रति ट्राली

नोटः— कम संख्या—1 के तहत वर्णित इकाई के सम्बन्ध में समिति/परिषद/निगम ये राशि सोसायटी के शुल्क फण्ड तथा ये राशि मकान मालिक से इकटठी नहीं की जाएगी।

## दूसरे नियम तथा शर्ते

1. उक्त सुझाये गए उपयोगकर्ता शुल्क मात्र सांकेतिक हैं और संबंधित नगरपालिका प्राधिकारी हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार अपने स्तर पर उपयोग कर्ता शुल्क लगा सकते है और उन्हें समय—समय पर संशोधित कर सकते है।

2. कम से कम एक वर्ष की अवधि का उपयोग कर्ता शुल्क अग्रिम जमा कराने का विकल्प लेने वाले उपयोग कर्ता दस प्रतिशत की छूट के पात्र होंगे।

3. उपयोग कर्ता शुल्क की गैर अदायगी को हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 जैसा भी मामला हो, में फीस की वसूली से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानों के तहत वसूल किया जाएगा।

4. नगर प्राधिकारी स्वयं उपयोग कर्ता शुल्क लगा एवं एकत्रित कर सकते है या खुली निविदाओं के माध्यम से ठोस कचरा निपटान एवं उसके संस्करण में लगी किसी निजी पार्टी को इस कार्य के लिए प्राधिकृत कर सकते है। आयुक्त, नगर निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सचिव, नगर समिति ऐसे दिशा निर्देश जारी करने के लिए प्राधिकृत है।

5. उपयोग कर्ता को नगर पालिका द्वारा ठोस कचरे के लिए निर्धारित किये गये स्थलों पर और नगर पालिकाओं के निर्देशानुसार ठोस कचरा पहुंचाना होगा।

6. इस अधिसूचना के तहत ठोस कचरे में केवल घरेलू ठोस कचरा शामिल होगा और इसमें कोई भी हानि कारक ठोस कचरा या औषधीय हानिकारक कचरा या औधोगिक कचरा शामिल नही होता जैसाकि (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत परिभाषित एवं समय समय पर संशोधित है।

7. किसी विवाद के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार अपील सुनी एवं निष्पादित की जाएगी।

एस.एस.ढिल्लो
वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।